



## मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित गठित पंजीकृत संस्था)  
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अररा हिल्स, भोपाल-462011

क्र.10966/IT/MGNREGS-MP/2015  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/12/2015

1. कलेक्टर /जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम,  
जिला पंचायत-समस्त मध्यप्रदेश।

विषय :- ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के संबंध में ।

-----00-----

विषयान्तर्गत योजना में **Audit & Financial management Software** के उपयोग एवं इससे प्राप्त लाभों से आप भली भांति परिचित हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता भी होगी कि, इस **Software** को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त पहचान परितोषिक एवं समग्रता में, **Scheme** के इस पक्ष के संचालन की प्रशंसा हुई है।

यह **Software** पिछले 5 वर्षों से निरंतर **Sustainable** है एवं पारदर्शिता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस **Software** में **Audit** की आपत्तियाँ एवं प्रशासनिक **Budget** को निरंतर अंकित किया जाना है एवं इनका अनुश्रवण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना है। ऐसा करने से जहाँ एक ओर ऑडिट एवं वित्तीय प्रबंधन का अनुश्रवण हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर योजना के वित्तीय प्रबंधन में आ रही कमजोरियों का भी त्वरित ध्यानाकर्षण हो सकेगा।

कृपया वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 तक सभी प्रकार की ऑडिट आपत्तियाँ एवं उनके पालन प्रतिवेदन, प्रशासनिक वजट को ऑडिट सॉफ्टवेयर में शत प्रतिशत रूप से दिनांक 28.12.2015 तक अंकित करना सुनिश्चित करें।

साथ ही पूर्व से ही निर्धारित प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न हैं) इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

( एस.एन. चौवे )  
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,  
भोपाल (म.प्र.)

पृक्र.10967/IT/MGNREGS-MP/2015  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 23/12/2015

1. संभागायुक्त (समस्त), की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी - समस्त जनपद पंचायतों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,  
भोपाल (म.प्र.)

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, ऑडिट साफ्टवेयर में जिले द्वारा समस्त प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट को हार्ड कापी से मिलान कर ही ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये बिन्दुओं एवं उनके पालन प्रतिवेदन को अंकित किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है परिषद् को भेजी गई हार्ड कापी के अनुसार ही साफ्टवेयर में अंकन किया गया है।

लेखाधिकारी मनरेगा  
जिला पंचायत .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत.....

कलेक्टर  
जिला..... (म.प्र.)